गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No. 25 of 2009)
Web Site – www ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क्रमॉक......426....../अका./2023 बिलासपुर, दिनॉक......14 DEC 2023

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः— सेमेस्टर शुल्क जमा कराने के दिशा—निर्देश संबंधी।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को सेमेस्टर शुल्क या परीक्षा शुल्क जो भी निर्धारित है, जमा कराना आवश्यक है, परन्तु यह देखा गया है कि विद्यार्थीगण परीक्षा फार्म जमा करने की तिथि या उसके बाद सेमेस्टर शुल्क जमा करते हैं। अतः विद्यार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन शुल्क जमा कराने हेतु निम्नानुसार दिशा—निर्देश जारी किया जाता है :—

1. सभी विद्यार्थियों को सेमेस्टर शुल्क निर्धारित तिथि के पूर्व जमा करना आवश्यक है।
2. विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम के सेमेस्टर शुल्क की जानकारी विश्वविद्यालय के (Web Portal) वेब पटल पर उपलब्ध है।
3. विश्वविद्यालय का सेमेस्टर शुल्क समर्थ पोर्टल (SAMARTH Portal) के माध्यम से जमा कराया जा रहा है।
4. किसी भी सेमेस्टर में सेमेस्टर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि का निर्धारण संबंधित पाठ्यक्रम के विभागाध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा।
5. यदि कोई विद्यार्थी N सेमेस्टर में अध्ययनरत् है तथा उसे N सेमेस्टर का शुल्क जमा करना है, तो N-1 सेमेस्टर के परीक्षा परीणाम घोषित होने के 15 शैक्षणिक दिवसों के बाद की तिथि को अंतिम तिथि माना जायेगा। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष परीक्षा परिणाम समर्थ पोर्टल पर प्राप्त होने के उपरान्त अंतिम तिथि का निर्धारण कर विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने की सूचना प्रसारित करेंगे तथा नोटिस बोर्ड पर इस हेतु नोटिस चस्पा करेंगे।
6. अंतिम तिथि निर्धारण की सूचना अकादमी शाखा को भी प्रेषित करेंगे, ताकि समर्थ पोर्टल पर अंतिम तिथि का निर्धारण किया जा सके।
7. उपरोक्त व्यवस्था के अधीन तिथि निर्धारण के उपरान्त यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा निर्धारित समयावधि में सेमेस्टर शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो इसका विलम्ब एवं पेनाल्टी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी ।

8. अंतिम तिथि के निर्धारण उपरांत यदि अत्यंत आवश्यक हो, तो सेमेस्टर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि तीन कार्यालयीय कार्य दिवसों तक संबंधित अधिष्ठाताओं के अनुमोदन उपरांत बढ़ाया जा सकता है। एक बार समयवृद्धि के उपरांत शुल्क जमा करने की तिथि में समर्थ पोर्टल में और वृद्धि नहीं की जायेगी।

9. निर्धारित समयावधि में सेमेस्टर शुल्क जमा नहीं कर पाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थियों को अंतिम तिथि के उपरान्त विलम्ब शुल्क जमा करना होगा । विलम्ब शुल्क के प्रावधान विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमॉक 23 के पैरा (4) में उल्लेखित है।

10. अंतिम तिथि के उपरान्त शुल्क जमा कराने की कार्यवाही संबंधित विभाग के द्वारा विभाग स्तर पर विभाग में उपलब्ध स्वाईप मशीन के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी । अतः विलम्ब शुल्क के साथ सेमेस्टर शुल्क जमा कराने का दायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष का होगा।

11. स्वाईप मशीन से सेमेस्टर शुल्क एवं विलंब शुल्क जमा कराने के उपरान्त सेमेस्टर शुल्क का विवरण एवं सत्यापन ऑफलाइन प्रक्रिया में समर्थ पोर्टल पर करना होगा।

12. उपरोक्तानुसार शुल्क जमा कराने संबंधी प्रावधान एतत द्वारा सर्वसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जारी किया जाता है। विभागों के विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उपरोक्त प्रावधानों की जानकारी अपने विभाग के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

14/12/23

कुलसचिव (कार्यवाहक)

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. कुलपति /कुलसचिव के सचिव /निज सहायक को मान.कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ ।
2. समस्त अधिष्ठातागण, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. वित्ताधिकारी, वित्त विभाग,गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
4. परीक्षा नियंत्रक, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
6. निर्देशक, आई.क्यू.ए.सी., गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
7. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (अका0)